



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बाईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

न्यूनतम प्रकरण संख्या	33/2020
G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2020/00065
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	04.08.2020
निर्णय दिनांक	12.11.2021



उनवान

क्र.सं.	पक्षकार का विवरण
1	लादीदेवी पत्नि सुखाराम गूर्जर नि.हेमा काखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

क्र.सं.	पक्षकार का नाम
1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	प्रार्थिया स्वयं उपस्थित
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

- (1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
रामपुरिया	2075-78	301	1257/1443	0.65

- (2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है -

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
रामपुरिया	1257	0.25	राजकीय	उत्तरी दिशा के सहारे सहारे
	1258	11.2345	राजकीय	संलग्न नजरी नक्शानुसार

- (3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

- (4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली चिन्हित होने से आज दिनांक 12.11.2021 को "प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प दड़ावट" में पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थीगण व तहसीलदार आसीन्द उपस्थित है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभयपक्ष सहमत है।

(5) प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थी / प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि -

क्रियात्मक - आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी / प्रार्थीगण के उपपंजीयक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि की दुगुनी राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने बाबत सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात मौका रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / संलग्न नक्शे के अनुसार निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी/प्रार्थीगण से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों को उनके खाते में से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत (5x7)	भूमि की दुगुनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है (8x2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामपुरिया	1257	0.25	0.0288	उत्तरी दिशा के सहारे सहारे	191196	5506	20894
		1258	11.2345	0.0336	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार	147069	4941	

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 12.11.2021 को केम्प दड़ावट में मजमे-आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 05


दिनांक / 6 / 11 / 2021


प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा



लक्ष्मी हेल
 ग्राम - रामपुरिया
 प.सं० - बडावट
 तह. - आसीरद
 पैमाना - 1 सेमी = 40 मीटर




 श्री. क. कि. दासीरद

डी.ए.ए.
 29/07/2021
 पटवारी - बडावट

प्रमाणित
 आका से
 सीडर
 सहायक कमिश्नर
 (R.D.O.)